छात्रा की हत्या का आरोपी भेजा गया जेल, दूसरे दिन भी होता रहा हंगामा

नरसिंहपुर, देशबन्धु। जिला अस्पताल में 12वीं की छात्रा की हत्या के आरोपी को शनिवार को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। इस मामले में दूसरे दिन भी हंगामा होता रहा। मृतिका के परिजन नाते रिश्तेदार शुक्रवार के बाद शनिवार को जिला चिकित्सालय के सामने बैठकर नारेबाजी करते रहे और सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आरोपी को फांसी देने की आवाज उठाते रहे। करीब 3 घंटे चले विवाद के बाद मृतका के परिजन अधिकारियों की समझाइश के बाद वहां से हटे। पुलिस ने परिजनों को शव सुपुर्द किया। इस मामले में पुलिस ने बताया कि आरोपी और छात्रा दो साल से रिलेशनशिप में थे। उसे शक था कि वह किसी और लड़के से भी बात करती है। इसी से आक्रोशित होकर छात्रा का गला रेत दिया।

यह था मामला - विदित हो कि शुक्रवार को सांकल रोड स्थित पटेल वार्ड गली निवासी हीरालाल चौधरी की बेटी संध्या वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए अस्पताल पहुंची थी। दोपहर करीब 3 बजे इमरजेंसी वार्ड के बाहर काली शर्ट पहने एक युवक ने उस पर हमला कर फरार हो गया। पुलिस ने रात में उसे हिरासत में ले लिया था। एसपी मृगाखी डेका ने बताया छात्रा संध्या चौधरी (18) और आरोपी अभिषेक कोष्टि (22) की जान पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से लगभग 2 साल पहले हुई थी। आरोपी का कहना है कि दोनों रिश्ते में थे। उसे शक था कि लड़की उसे धोखा दे रही है। परिजन से पूछताछ करने पर नई जानकारी मिल सकती है। वहीं परिजन देर रात तक हत्यारे को देखने की मांग को लेकर धरने पर बैठे रहे। शनिवार को भी प्रदर्शन किया। काफी समझाइश के बाद वे माने और शव लेकर घर गए। इस दौरान पूर्व मंत्री जालम सिंह पटेल मौके पर पहुंचे और परिजन को 50 हजार की आर्थिक सहायता दी। रेडक्रॉस की ओर से भी 50 हजार की आर्थिक मदद दी गई। एएसपी संदीप भूरिया के मुताबिक किसानी वार्ड निवासी अभिषेक कोष्टी नाम के युवक ने चाकू से संध्या नाम की छात्रा की गला रेत कर हत्या की है। आरोपी कस्टडी में है। आरोपी को अधिकतम सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि कोशिश करेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला जाए। अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की भी जांच की जाएगी, जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी। मृतिका के परिजन की मांग है कि अस्पताल चौकी में पदस्थ पुलिसकर्मियों को हटाया जाए। इमरजेंसी वार्ड में पदस्थ डॉक्टर पर भी आरोप है कि युवती पर जब हमला हो रहा था, तो उन्होंने वार्ड के गेट बंद कर लिए थे, उनको भी तत्काल प्रभाव से हटाया जाए।

वर्षा पूर्व क्षतिग्रस्त एवं जर्जर भवनों को हटाया गया

अनूपपुर, देशबन्धु। राज्य शासन के दिशा-निर्देशों और कलेक्टर हर्षल पंचोली के निर्देश के अनुपालन में नगर पालिका परिषद कोतमा द्वारा वर्षा ऋतु के पूर्व सघन बाजार क्षेत्रों में स्थित जर्जर एवं क्षतिग्रस्त भवनों को चिन्हित कर हटाने की कार्यवाही की गई। नगर पालिका द्वारा यह कार्यवाही उन भवनों के विरुद्ध की गई जो अत्यंत जर्जर अवस्था में हैं और जिनके गिरने से जनधन की हानि की गंभीर आशंका बनी हुई थी। संबंधित भवन मालिकों को पूर्व में नोटिस जारी करते हुए भवन को हटाने या मरम्मत करवाने के निर्देश दिए गए थे। इसके बावजूद सुधार न होने पर नगर पालिका ने स्वयं जर्जर संरचनाओं को हटाने की प्रक्रिया शुरू की। जिन भवनों में लोग निवास कर रहे थे, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित होने के लिए समझाइश दी गई।

सार-समाचार

मोहर्रम पर्व को लेकर बैठक आयोजित, प्रशासन ने दिए दिशा निर्देश

गाडरवारा, देशबन्धु। पुलिस थाना के एस डी ओ पी कार्यालय में प्रशासन ने ताजिये,सवारी , परचम सहित मोहर्रम पर्व पर होने वाले अन्य कार्यक्रमों को लेकर बैठक आयोजित कर दिशा निर्देश जारी किये। एसडीएम कलावती ब्यारे, एसडीओपी रत्नेश मिश्रा, तहसीलदार प्रियंका नेताम ने उपस्थित मुस्लिम समाज के लोगो से मोहर्रम पर होने वाले आयोजनों की जानकारी लेते हुए प्रशासनिक गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी लोगो से सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ मोहर्रम पर्व मनाने की अपील की है।

मुस्लिम समाज द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 30 जून को परचम जुलूस, 1 जुलाई को टिपारियों के साथ व 3 जुलाई को मेहदी ताजिया अलम जुलूस में एवं रात्रि में सवारियों एवं इमामबाड़ों, दरगाहो पर , 5 जुलाई कत्ल की रात में मजमा रहेगा व 6 जुलाई को सुबह से गंज स्कूल इंदिरा काम्प्लेक्स मुकरबा के सामने ताजियों का मजमा रहेगा । इसी रात्रि को चावड़ी पर पूरी रात्रि ताजिये रखे जायेगे रात्रि में सवारियां शहर में गश्त करेगी व 7 जुलाई को सुबह सभी ताजिये नए बस स्टैंड बाबली दरगाह पहुचेंगे 11बजे के बाद शक्कर नदी के उस पर नपा द्वारा बनाए जा रहे कुंड में विसर्जन के लिए ले जायेंगे । इन सभी कार्यक्रम स्थलो पर स्थानीय प्रशासन, पुलिस विभाग, नगर पालिका से सहयोग की अपेक्षा मुस्लिम समाज ने की है । बैठक में जामा मस्जिद कमेटी अध्यक्ष अबरार खान, मुस्लिम विकास परिषद के महमूद पहलवान, अब्दुल फिरोज खान, मुस्लिम त्योहार कमेटी के मुजीब खान, हसनी हुसैनी सोसायटी अध्यक्ष लकी अली, गरीब नवाज चौकी से शेख रहीम गुड्डू, आशिक हुसैन , इमरान ताजी, सज्जाद अली, अनीश खान, राज ताजी, सलमान खान, सोहेल खान, हबीब खान, रहमान चिश्ती, आशिफ़ साबरी आदि उपस्थित थे। जामा मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष अबरार खान ने सभी लोगो से एकता भाईचारे शांति सद्भावना गंगा जमना तहजीब के साथ मोहर्रम पर्व मनाने की गुजारिश की है।

नेत्र शिविर में 62 मरीजो की जांच

गाडरवारा, देशबन्धु। स्थानीय शासकीय चिकित्सालय में शनिवार को राष्ट्रीय नेत्र निवारण समिति के तत्वधान में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। नेत्र रोगियों का नेत्र परीक्षण उत्तम सिंह पटेल नेत्र चिकित्सा सहायक द्वारा किया गया। मेडिकल परीक्षण डॉक्टर उपेंद्र वस्त्रकर प्रभारी अधीक्षक ने किया इस शिविर में 62 नेत्र रोगियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर नेत्र जांच की गई। जिसमें जांच के उपरांत 7 रोगियों को ऑपरेशन हेतु देव जी नेत्रालय जबलपुर रेफर किया गया वहां पर नेत्र रोगियों का ऑपरेशन किया जाएगा। नेत्र शिविर में पुष्पेंद्र पटेल लैब टेक्नीशियन अभिलाष पेट्रोल अरविंद सराठे डॉक्टर अमित कुमार का विशेष सहयोग रहा।

ट्रेन से गिरकर युवक की मौत, पहचान न होने पर किया अंतिम संस्कार

अनूपपुर, देशबन्धु। जैतहरी-अनूपपुर रेलखंड के बीच 24 जून की रात एक अज्ञात ट्रेन से गिरने के कारण गंभीर चोट लगने से एक 35 वर्षीय अज्ञात युवक की मौत हो गई। कोतवाली अनूपपुर पुलिस द्वारा चार दिनों तक मृतक की पहचान के प्रयास किए गए, लेकिन जब कोई सफलता नहीं मिली, तो शनिवार दोपहर मुक्तिधाम अनूपपुर में पुलिस और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से मृतक का अंतिम संस्कार किया गया।

जानकारी के अनुसार 24 जून की रात रेलवे स्टेशन मास्टर अनूपपुर द्वारा कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई कि खंभा क्रमांक 367/39 व्ही,पी के पास रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा है। जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचे और पंचनामा कार्रवाई कर शव को कब्जे में लिया। मृतक से कोई पहचान संबंधी दस्तावेज प्राप्त नहीं हुआ। जिसके बाद शव को जिला चिकित्सालय अनूपपुर के पीएम वार्ड स्थित शव फ्रीजर में सुरक्षित रखा गया तथा विभिन्न माध्यमों से पहचान की कोशिश की गई। चार दिन बीत जाने के बाद भी जब शव की पहचान नहीं हो पाई, तो पुलिस ने ड्यूटी डॉक्टर की देखरेख में पोस्टमार्टम करवा कर शव को अंतिम संस्कार हेतु मुक्तिधाम पहुंचाया।

हसनी हुसैनी सोसाइटी ने किया रक्तदान शिविर आयोजित

गाडरवारा, देशबन्धु। रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं होता द्य रक्तदान करके हम किसी के जीवन को बचाने का काम करते हैं मोहर्रम का महीना इंसानियत की सेवा का प्रतीक माना जाता है। इसी जज्बे के साथ हसनी हुसैनी सोसाइटी ने एक मिसाल पेश करते हुए सामूहिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया ।जिसमें सोसाइटी के 20 सदस्यों ने शासकीय अस्पताल में अपना रक्तदान कर मानवता की सेवा की।

रक्तदाताओं में जामा मस्जिद पेश इमाम हाफ़िज़ ज़ुबैर आलम साहब, हसनी हुसैनी सोसाइटी गाडरवारा अध्यक्ष लकी अली, एडवोकेट हुसैन बोहरा, इमरान ताजी, , आशिक हुसैन, आसिफ चिश्ती, राज ताजी, इरशाद अशरफी, शाहनवाज ताजी, एहफाज राइन(बबलू),असबाब अशरफी, मोहम्मद वकील खान, यूसुफ राइन,शमशीर खान, अजहर चिश्ती मंसूर खान, फरहान खान, सोहेल खान, अमन खान तनवीर खान अरबाज़ कुरैशी आदि प्रमुख थे। चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर उपेंद्र वस्त्राकार के दिशा निर्देशन में ब्लड स्टोरेज प्रभारी डॉ. बबिता सिंह, अमित कुमार, लेब टेक्नीशियन निखिल साहू, अजय घारू ने रक्तदान कराया। हाफिज जुबेर आलम साहब, समाजसेवी अब्दुल फिरोज खान ने रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करते हुए उनके इस प्रयास की सराहना की। सोसाइटी के प्रतिनिधियों ने बताया कि यह रक्तदान सिर्फ एक मेडिकल ज़रूरत नहीं, बल्कि मोहर्रम के पवित्र महीने में की गई अज़ीम इबादत प्रार्थना है, जिसमें किसी की जान को बचाकर इमाम हुसैन की कुर्बानी की याद को इंसानियत की शक्ल में अदा किया गया है। रक्तदाता के लिए भी रक्तदान करने से शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, आयरन बैलेंस संतुलित रहता है और दिल सेहतमंद रहता है। सोसाइटी की इस इंसानी मुहिम से न सिर्फ इंसानों की जान बचाई जा रही है बल्कि समाज में आपसी भाईचारे को बढ़ावा दिया जा रहा है।

उपचार करने वाले अपात्र को तीन साल की सजा

गाडरवारा, देशबन्धु। न्यायालय द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गाडरवारा द्वारा सत्र प्रकरण कं. 78/2022 मे निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त संजय बक्शी को तीन वर्ष के कारावास एवं तीन हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

उक्त प्रकरण मे अपर लोक अभियोजक पवन अग्रवाल द्वारा पैरवी की गयी थी और उनके बताये अनुसार थाना गाडरवारा के अंतर्गत दिनांक 06 दिसंबर 21 को सुबह करीबन 11-30 बजे एमपीईबी कॉलोनी गाडरवारा स्थित क्लीनिक में सावित्री बाई का उपचार लापरवाही पूर्वक उपचार किया गया। जिसके परिणामस्वरूप उनकी हृदय गति अवरूद्ध होने से उनकी मृत्यु हो गई। अभियुक्त संजय बक्शी के पास चिकित्सक सबंधित रजिस्ट्रीकृत वैद्य आज्ञप्ति न होने के पश्चात् भी चिकित्सक के तौर पर कार्य किया, जिसका थाना गाडरवारा के द्वारा अपराध कमांक 83/2022 अंतर्गत भादंवि की धारा 304 (भाग-दो) एवं धारा 24 मप्र आयुर्विज्ञान परिषद के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। जिसमें मृतिका सावित्रीबाई का बवासीर का इलाज अभियुक्त ने एमपीईबी कॉलोनी गाडरवारा मे किया था, जहां अभियुक्त ने मृतिका को बेहोशी का इंजेक्शन लगाकर ऑपरेशन कर दिया, जिसके पश्चात् मृतिका बेहोशी की स्थिति मे रही, तब मृतिका के परिजन उसके शासकीय अस्पताल गांडरवारा ले गये, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया, जिसका सत्र प्रकरण कं. 78/2022 का विचारण द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की

न्यायालय में हुआ ।

जहां अभियोग पत्र अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य एवं प्रकरण के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों व अवलोकन कर श्रीमती संतोषी वासनिक, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गाडरवारा द्वारा अभियुक्त संजय बक्शी के द्वारा चिकित्सा व्यवसाय हेतु अपात्र होते हुये लापरवाहीपूर्वक उपचार किये जाने के परिणाम स्वरूप होने पर आरोपी को भादंवि की धारा 304 (भाग-दो) मे 3 वर्ष का कारावास एवं दो हजार रूपये का अर्थदंड एवं धारा 24 मप्र आयुविज्ञान परिषद अधिनियम मे 1 वर्ष का कारावास एवं एक हजार रूपये का अर्थदंड से दंडित किया गया।

हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद

नरसिंहपुर, देशबन्धु। न्यायालय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश नरसिंहपुर वैभव सक्सेना के न्यायालय द्वारा हत्या के आरोपियों दीपक उर्फ टिपलु ठाकुर उम्र 22 वर्ष निवासी महात्मा गांधी वार्ड आमगांव रोड करेली बस्ती थाना करेली और मनीष जाटव उम्र 20 वर्ष निवासी पथरोली मोहल्ला अंबेडकर वार्ड, करेली बस्ती करेली थाना करेली जिला नरसिंहपुर दोनों को दोषसिद्ध पाते हुये पृथक-पृथक से धारा 103(1) बीएनएस के तहत आजीवन कारावास एवं 5000-5000 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

अभियोजन के जिला मीडिया सेल प्रभारी ने बताया कि 10.11.2024 को सूचनाकर्ता अभिषेक काछी द्वारा थाना करेली में सूचना दी कि 9.11.2024 को वह आकाश रघुवंशी और राजीव मेहरा, तीनों आकाश रघुवंशी की कार से तलापार तरफ से बस्ती साईड जा रहे थे तभी करीब रात 8-15 से 8-30 बजे की बीच नई तहसील के सामने आकाश रघुवंशी ने सिगरेट लेने के लिये गाड़ी रोकी तब वह कार से उतरकर वहीं गुमठी से सिगरेट लेने लगा, आकाश रघुवंशी और राजीव मेहरा कार से उतरकर बाहर खड़े थे तभी मनीष जाटव, दीपक उर्फ टिपलू ठाकुर तथा नीरज वंशकार मोटर साइकिल से आये और दुर्गेश यादव के साथ पथरोली मोहल्ला में मढ़ई मेला में हुये विवाद को लेकर मनीष जाटव, दीपक उर्फ टिपलू ठाकुर एवं नीरज वंशकार ने आकाश रघुवंशी को गाली गलौच करना शुरू कर दिये। वाद विवाद बढ़ने पर नीरज वंशकार मोटर साइकिल छोड़ कर भाग गया आकाश ने मनीष व दीपक उर्फ टिपलू को गाली देने से मना किया तो दीपक उर्फ टिपलू व मनीष जाटव ने आकाश रघुवंशी के साथ झूमाझटकी कर मारना शुरू कर दिया उसी दौरान मनीष जाटव व दीपक उर्फ टिपलू ने जेब से चाकू निकालकर आकाश रघुवंशी को सीने, पेट एवं मुंह में मार दिये जिससे आकाश रघुवंशी को चोट लगी तथा खून निकलकर आकाश जमीन पर गिर गया।

उसने चिल्लाया तो पेट्रोल पंप के सामने सीट कवर बनाने वाले राजा मौके पर आ गये तो मनीष व दीपक उर्फ टिपलू वहां से अपनी मोटर साइकिल से भाग गये फिर उसने एवं राजीव मेहरा व राजा जाटव ने आकाश रघुवंशी को ईलाज के लिये कार से सरकारी अस्पताल करेली लेकर गये जहां डॉक्टर ने रघुवंशी को मृत होना बताया। थाना करेली में अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया। न्यायालय में शासन की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी, इंद्रमणि गुप्ता द्वारा की गई।

सजग प्रहरियों के त्याग के कारण ही देश में लोकतंत्र कायम : कैलाश सोनी

नरसिंहपुर, देशबन्धु। भारतीय जनता पार्टी जिला नरसिंहपुर द्वारा देश में लगाए गए आपातकाल के काले अध्याय के 50 वर्ष होने के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन करेली नगर के डीएम पैलेश में किया गया। संगोष्ठी मप्र शासन के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के मुख्य आतिथ्य में लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश सोनी की अध्यक्षता व लोकतंत्र सेनानी संघ के प्रदेश अध्यक्ष तपन भौमिक, प्रदेश कार्यालय मंत्री राजनारायण अग्निहोत्री, संभागीय संयोजक डॉ पी एस सेठ, भाजपा जिलाध्यक्ष पं. रामस्नेही पाठक, तेंदुखेडा विधायक विश्वनाथ सिंह पटेल, गोटेगांव विधायक महेंद्र नागेश, नगर पालिका अध्यक्ष करेली सुशीला ममार, लोकतंत्र सेनानी संघ के जिलाध्यक्ष संतोष तिहैया की गरिमामय उपस्थिति में सम्पन्न हुआ।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मप्र शासन के कैबिनेट मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने 1975 के आपातकाल पर प्रकाश डाला गया व विस्तारपूर्वक बताया।

लोकतंत्र सेनानी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद कैलाश सोनी ने कहा कि भारतीय समाज ने 3 लोगों के अत्याचार को सहा और देखा है जिसमें पहला है मुगल, दूसरा अग्रेज और तीसरा कांग्रेस इन तीनों ने ही सत्ता की भूख के लिए ही देश को लूटा और लोगों पर अत्याचार किए। देश के आजाद होने के बाद श्रीमति गांधी ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए लोकतंत्र को रौंदा, संविधान के मूल्यों की हत्या की और उन तमाम आवाजों को दबाते हुए देश में आपातकाल लगाने का महापाप किया। उन्होंने विभिन्न विचारधारा के लोगों नेताओं के साथ साथ पत्रकारिता फिल्म जगत पर पाबंदी लगाई साथ ही न्याय प्रणाली पर भी अपना नियंत्रण रखा। श्रीमति गांधी ने आपातकाल की आड़ में सम्पूर्ण देश में तानाशाही चलाई और पूरे देश को कारागार में बदल दिया। उस समय लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो लोग आगे आए उन निर्दोश लोगों को अकारण ही जेल में ठूस दिया गया था।

हमें गर्व है कि भाजपा उन्हीं सच्चे लोकतंत्र प्रेमियों की विरासत को आगे बढ़ा रही है जिन्होंने आपातकाल का डटकर विरोध किया। लोकतंत्र सेनानी संघ के प्रदेश अध्यक्ष तपन भौमिक ने भी संबोधित किया। इस अवसर जिले भर से आए लोकतंत्र सेनानी व उनके परिवारजन, पूर्व विधायकगण, जनप्रतिनिधि गण, जिला पदाधिकारी, मंडल पदाधिकारी, सहित मोर्चा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ताओं सहित श्रेष्ठजन उपस्थित रहे।

आपातकाल के काले अध्याय के 50 वर्ष होने पर संगोष्ठी आयोजित

विशेष अभियान में 218 प्रकरण दर्ज, 8 लाख 30 हजार का मादक पदार्थ जब्त

नरसिंहपुर, देशबन्धु। जिले में पुलिस द्वारा अवैध नशे के कारोबार में लिप्त लोगों पर कार्यवाही कर अंकुश लगाने हेतु विशेष कार्ययोजना तैयार कर 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत नरसिंहपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में अवैध नशे का कारोबार करने वालों के विरूद्ध ताबड़तोड कार्यवाही की गयी। अभियान के दौरान नरसिंहपुर पुलिस द्वारा नशे के विरूद्ध बड़ी सफलता प्राप्त करते हुए 8 प्रकारणों में 9 आरोपियों से 42.3 ग्राम स्मैक कुल कीमत 4,97600 रूपये जप्त की गयी, 10 प्रकारणों में 10 आरोपियों से 23.2 किलोग्राम अवैध गांजा कुल कीमत 133800 रूपये जप्त किया गया, इसी प्रकार 200 प्रकरणों में 200 आरोपियों से 1264 लीटर अवैध शराब कुल कीमती 199110 रूपये जप्त की गयी एवं 3150 किलोग्राम महुआ लहान एवं बड़ी मात्रा में शराब बनाने की सामग्री को नष्ट किया गया है। अवैध नशे के सेवन की रोकथाम हेतु की जा रही कार्यवाही के तहत नरसिंहपुर पुलिस की अलग-अलग पुलिस टीमों द्वारा नशे का सेवन करने वाले 18 लोगों को पकड़ा गया एवं पकड़े लोगों के विरूद्ध धारा 8/27 एनडीपीएस एक्ट के तहत पृथक-पृथक प्रकरण पंजीबद्ध किये गए है।

मार्केट वॉच गाडरवारा

क्लासिफाईड विज्ञापन के लिए अनिल गुप्ता गाडरवारा से संपर्क करें। मोबाईल - 9424328221

सोसायटी फॉर अवेयरनेस एण्ड रूरल एडवांसमेंट, संबद्ध अध्ययन केन्द्र

अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल

Sara Group of Institutions

पत्रोपाधि पाठ्यक्रम
- प्राथमिक चिकित्सा उपचार
- आधारभूत स्वास्थ्य संरक्षण
- योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा
- फैशन डिजायनिंग
- संगणक अनुप्रयोग डीसीए

प्रवेश प्रारंभ

एसआर एन्क्लेव, जमाड़ा रोड, महाराणा प्रताप वार्ड, गाडरवारा जिला-नरसिंहपुर, फोन-8989167883

स्नातकोत्तर पत्रोपाधि पाठ्यक्रम
- आधारभूत स्वास्थ्य संरक्षण
- आहार एवं जनस्वास्थ्य पोषण
- सायबर कानून
- जर्नलिज्म एवं मास कम्यूनिकेशन
- संगणक अनुप्रयोग पीजीडीसीए